न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 03/2006

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी, सिरोही ।

बनाम

अप्रार्थी

1.श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी ए-123 रिको कॉलोनी आबूरोड जिला सिरोही।

2.श्री शंकरलाल पुत्र श्री बाबूलाल राणा भील निवासी गांधीनगर, आबूरोड जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री , सहायक लोक अभियोज अधिकारी प्रथम, सिरोही।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक 03.05.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.09.2006 को जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं उप अधीक्षक पुलिस आबूपर्वत के साथ रिको कॉलोनी स्थित प्रभा स्टेशनर्स एण्ड कलेक्शन नामक दुकान की जांच करने पहुंचने पर वहां पर अलग–अलग कम्पनी के 49 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर पाए गए। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त 49 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं दो वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता ने जरिए वकालतनाम के उपस्थिति दी एवं जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रार्थी की ओर से श्री, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई । प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 17.09.2006 को जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं उप अधीक्षक पुलिस आबूपर्वत द्वारा रिको कॉलोनी में स्थित प्रभा स्टेशनर्स एण्ड कलेक्शन नामक दुकान की जांच करने पहुंचने पर वहां पर अगल–अलग कम्पनी के 49 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर एवं तीन विद्युत मोटर तथा गैस किट लगी हुई एक स्कूटी नम्बर आरजे 24 1एम 8693 पाई गई। अप्रार्थी एवं अप्रार्थी के व्यवसाय में सहयोग करने वाले नौकर द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि उक्त [illegible] अपने परिचित तथा रिश्तेदारों की गैस डायरियों पर आबूरोड में कार्यरत [illegible] से प्राप्त किए थे। अप्रार्थी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा घरेलू सिलेण्डरों [illegible] एवं पेट्रोमैक्स में भरने तथा उपभोक्ताओं को अधिक [illegible] में लिया जाता है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो [illegible] अन्य प्रयोजनार्थ करने [illegible] 49 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर को निरीक्षण दल [illegible] कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को गलत बताते हुए खारिज करने का निवेदन करते हुए गैस सिलेण्डर वापस दिलवाए जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि कब्जे सरकार लिए गए सभी गैस सिलेण्डर उनके द्वारा पेश की गई गैस डायरियों के उपभोक्ताओं के है। प्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिए जाने से सभी उपभोक्ताओं को खाने बनाने में भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कब्जे सरकार लिए गए सभी सिलेण्डर उनके मालिकी स्वामित्व के है जिन्हें उन्हें वापस दिया जाने का आदेश प्रदान करावें।

मैने दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी द्वारा 49 घरेलू गैस सिलेण्डरों 14.2 किलो एवं 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। जहां तक अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त सभी घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर उनके द्वारा पेश की गई गैस डायरियों के उपभोक्ताओं के है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इसके सम्बन्ध में उनकी गैस डायरियां भी प्रस्तुत की गई है। चूंकि अप्रार्थी ने कब्जे सरकार लिए गए घरेलू गैस सिलेण्डरों की गैस डायरियां बाद में प्रस्तुत की है। अतः उक्त प्रकरण यह पता लगाना मुश्किल है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई गैस डायरिय़ां कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डरों की ही थी।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी के विरूद्ध सद्भावनापूर्ण रूख अपनाते हुए प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिये गये 49 घरेलू गैस सिलेण्ड़रों एवं 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों को उनके मालिकी का होने से अप्रार्थी को स्थाई रूप से उन्हें लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। उपभोक्ताओ द्वारा इनका उपयोग केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 के क्लॉज 3/2 का उल्लघंन किया जाना नही पाया जाता है । जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर जिला रसद अधिकारी सिरोही को निर्देश दिए जाते है कि उपभोक्ताओं को दिए गए गैस सिलेण्ड़रों की रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत कर गैस कम्पनी से उपभोक्ताओं की डायरियों में अंकन कराकर फोटोकॉपी प्रस्तुत करें। चूंकि इस न्यायालय द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों को जमानत/सुपूर्दगीनामे पर पूर्व में दिया जा चुका है। अतः अप्रार्थी द्वारा पेश की गई जमानत/सुपूर्दगीनामे को निरस्त किया जाता है। एवं जिला रसद अधिकारी सिरोही कब्जे सरकार लिये गये तीन विद्युत मोटरों को को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये विद्युत मोटर को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2021 को खुले ... डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner